

संख्या: 14/18/167
तिथि: 29/01/2024
पावती समय: 07:27 PM

अतारांकित प्रश्न

विषय :- टैक्स के पैसे कि बिना रजिस्ट्ररी करने बारे।
मंत्री:- श्री. दुष्यंत चौटाला
प्रश्नोत्तर दिनांक स्वीकृत अवस्था में:-
प्राथमिकता, यदि कोई हो:-

प्रेषक:
श्री नीरज शर्मा(86), सदस्य

सेवा में:
सचिव
हरियाणा विधान सभा
Delhi-1

महोदय,
अतारांकित प्रश्न
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री कृपया बताएं कि :

- क्या यह तथ्य है कि नगर निगम फरीदाबाद ने अपने पत्र क्रमांक एमसीएफ/सीटीपी/2021/1910 दिनांक 09.08.2021 के द्वारा सब रजिस्ट्रार बडखल को लिखा था कि खसरा 35/25, 36/21/1, 39/1,2,3, 4/1, 7/2,8,9,10,40/5,6 टोटल 70 कैनाल-14 मरला राजस्व रिकार्ड सराय ख्वाजा फरीदाबाद के उपर नगर निगम की 239630131 ईडीसी एंव 1782448 प्रोपर्टी टैक्स के बकाया है, इसलिए इसकी रजिस्ट्ररी ना की जाए। अगर हां, तो क्या इसकी रजिस्ट्ररी की गई और अगर की गई तो किस आधार पर की गई।
- क्या अब M/S Forgings Pvt Ltd 12/6 DM Road Faridabad through official Liquidator Mr Sajeve Bhushan Deora 606 New Delhi House 27 Barakhamba Road New Delhi ने नगर निगम के 3976875/-रु ई.डी.सी के 112180505/-रु जोकि बकाया थे जमा करवा दिए है अगर हां तो आदयगी की पूर्ण जानकारी दी जाए। अगर नहीं करवाए गए तो उसको वसूलने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

भवदीय
श्री नीरज शर्मा(86)
सदस्य
29/01/2024 07:27 PM

This document is computer generated and signature is not required.

FOR OFFICE USE